2017-09-01 AD-2016/2474

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE SWEDISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

The Swedish Patent and Registration Office of the Kingdom of Sweden and the Department of Industrial Policy and Promotion, India (hereinafter collectively referred to as the "Parties", and individually the "Party");

CONSIDERING the will to enhance the existing friendly relations between the people and governments of the Kingdom of Sweden and the Republic of India;

DESIRING to strengthen cooperation in the field of IP and to reconfirm cooperative partnership to promote economic and technological exchange;

RECOGNISING the need to expand and strengthen their national Intellectual Property (IP) systems by working together to promote innovation, creativity, technological advancement, exchange of best practices and fostering IP awareness for mutual advantage;

CONSCIOUS of the importance of improving the quality and efficiency of procedures for patents, trademarks, industrial designs, copyrights and Geographical Indications, and fostering IP awareness;

CONVINCED that such cooperation will be in the Parties' mutual interest;

HAVE REACHED the following understanding:

PARAGRAPH 1
Objective

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to establish a wide ranging and flexible mechanism for developing and furthering cooperation activities between the Parties in the field of Intellectual Property (IP) and information technology services related to this field.

PARAGRAPH 2
Areas of Cooperation

Cooperation between the Parties under this MoU will include, but not be limited to:

a) Exchange of best practices, experiences and knowledge on IP awareness among the public, businesses and educational institutions of both countries;
b) Collaboration in training programmes, exchange of experts, technical exchanges and outreach activities;
c) Exchange and dissemination of best practices, experiences and knowledge on IP with the industry, universities, R & D organisations and Small and Medium Enterprises (SMEs) through participation in programs and events in the matter, organized singly or jointly by the Parties;
d) Exchange of information and best practices for disposal of applications for patents, trademarks, industrial designs, copyrights and Geographical Indications, as also the protection, enforcement and use of IP rights;
e) Cooperation in the development of automation and implementation of modernization projects, new documentation and information systems in IP and procedures for management of IP;
f) Cooperation to understand how Traditional Knowledge is protected; and the exchange of best practices, including traditional knowledge related databases and awareness raising of existing IP systems;
g) Exchange of information and best practices regarding Intellectual Property law infringements in the digital environment, especially regarding Copyright issues; and
h) Other cooperation activities as may be decided by the Parties with mutual understanding.

The operation of this MoU does not obligate the Parties to develop projects in all of the areas and modalities of cooperation contemplated in this Paragraph.

PARAGRAPH 3
Competence

The Parties will execute the cooperation activities with full compliance with their respective jurisdictions, institutional directives and applicable national laws and regulations.

PARAGRAPH 4
Work Plans

The Parties agree to set up a Joint Coordination Committee to draw up biennial Work Plans that will set out the specific aspects of their collaboration according to Paragraph 2 of this MoU.

Each Work Plan will include forecasts concerning the performance of cooperation activities, including specifications on the scope, management, assignment of resources, exchange of human resources, time schedule and any other information deemed necessary by the Parties.

PARAGRAPH 5
Monitoring Mechanism

The Parties will make their best efforts to meet as often as they agree, in accordance with the requirements, in order to evaluate matters derived from the implementation of this MoU after receiving the report from the Joint Coordination Committee.

PARAGRAPH 6
Financial Resources

The Parties will finance the cooperation activities with the resources assigned in their respective budgets, subject to their availability, budgetary appraisal and the provisions of their national legislation.

The Parties agree that all expenses arising from cooperation activities under this MoU will be funded as mutually agreed between the Parties,except when alternative funding mechanisms are available for specific activities, as deemed appropriate by the Parties.

In the specific case of the exchange of personnel, the Parties will establish in writing the terms and conditions that will be applicable to this activity.

PARAGRAPH 7
Legislation and International Agreements

This MoU between the Parties will be subject to all applicable laws and regulations in their respective countries. This MoU does not affect the rights and obligations of the Parties under other agreements or MoUs in which they are involved. This MoU does not create any legally binding obligations or corresponding rights upon the Parties under the domestic law of the Parties or international law.

PARAGRAPH 8
Labour Relations

In order to develop the cooperation activities set out in this MoU, the personnel assigned by either Party will remain under the direction and authority of the institution to which they belong, and therefore no employment relationship will be created with the other Party, who, under no circumstances whatsoever, will be considered to be a substitute employer.

The Parties will facilitate movement and stay in their respective countries, of the Assigned personnel who are officially involved in cooperation projects under this MoU. The facilitation is in terms of assistance through competent authorities, but shall not entail any expenditure on behalf of the Participants of the host country, unless agreed to specifically for any particular activity. The assigned personnel will be subject to applicable immigration, customs, tax, health-sanitary and national security provisions in the host country and will not be able to participate in any other activity that does not correspond to their functions. The assigned personnel will leave the host country in accordance with its laws and regulations.

PARAGRAPH 9
Amendment

This MoU may be amended by mutual consent of the Parties through exchange of written communications, specifying the date of entry into effect of the amendment.

PARAGRAPH 10
Information Sharing and Publications

The Parties will freely exchange information within the framework of this MoU, with the exception of such cases where the national legislation or the Party providing such information, has set restrictions on its use or disclosure.

In case the information shared by a Party is confidential, the other Party shall be informed about such nature of the information in writing. In the absence of any such communication, Parties shall not be bound to treat the information shared under this MoU as confidential.

Under no circumstances will restricted information or the one specified by either Party as confidential be transferred to a third party by a Party without prior written consent of the other Party.

Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the Parties pursuant to this MoU will be jointly owned. The use of the name, logo and/or official emblem of the Parties on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the Parties.

PARAGRAPH 11
Settlement of Disputes

Any dispute which may arise in connection with the interpretation or implementation of this MoU will be settled amicably by mutual consultations between the Parties.

PARAGRAPH 12
Final Provisions

This MoU will come into effect on the date of signature by the Parties and will remain in effect for a period of four (04) years. After the said initial period, the MoU will be automatically extended for further periods of four years each, unless one of the Parties notifies the other Party of its intention to terminate the MoU, by sending a notice in writing at least 90 calendar days before the end of the then-current four-year period.

Either Party may terminate this MoU at any time with at least ninety (90) days written notice to the other Party.

The early termination of this MoU will not affect the implementation of on-going cooperative activities under this MoU until the completion of such activities, unless otherwise jointly decided by the Parties.

In Witness Whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this MoU.

Signed in Stockholm, on the 1st day of September 2017, in two original copies in English and Hindi, in case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(Susanne Ås Sivborg)
Director-General
For the Swedish Patent and Registration Office

(Monika Kapil Mohta)
Ambassador of India to Sweden & Latvia
For the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of the Republic of India

बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार तथा स्वीडन किंगडम के स्वीडिश पेटेंट एवं पजीकरण कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत तथा स्वीडन किंगडम के स्वीडिश पेटेंट और पंजीकरण कार्यालय (जिन्हें इस ज्ञापन में आगे संयुक्त रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है)

भारत गणराज्य तथा स्वीडन किंगडम की जनता तथा सरकारों के मध्य मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के संकल्प पर **विचार** करते हुए;

आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए उनकी सहकारी भागीदारी को संपुष्ट करने की इच्छा से **प्रेरित** होकर;

अभिनवीकरण, रचनात्मकता तथा प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा पारस्परिक लाभ हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने तथा आईपी जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक-साथ मिलकर कार्य करते हुए अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रणालियों का विस्तार तथा उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता को **स्वीकार** करते हुए;

पेटेंट, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिप्यधिकार और भौगोलिक संकेतकों के लिए प्रक्रियाओं की गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता में सुधार करने तथा बौद्धिक सम्पदा जागरुकता को प्रोत्साहित करने के महत्व को **ध्यान** में रखते हुए;

इस बात कि उक्त सहयोग,पक्षकारों के आपसी हित में होगा, से **सहमत** होते हुए; निम्नलिखित समझौता करते हैं:

अनुच्छेद 1
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (जिसे आगे "एमओयू" कहा गया है) का उद्देश्य, बौद्धिक सम्पदा (आईपी) क्षेत्र तथा इस क्षेत्र से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में पक्षकारों के बीच सहयोगात्मक कार्यकलापों को विकसित तथा प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक तथा सुनम्य तंत्र की स्थापना करना है।

अनुच्छेद 2
सहयोग के क्षेत्र

इस समझौता ज्ञापन में संदर्भित सहयोगात्मक कार्य, निम्नलिखित तरीके से किए जायेंगेः

क) दोनों देशों की जनता, व्यवसायियों तथा शैक्षिक संस्थाओं के मध्य आईपी संबंधी जागरुकता की बेहतरीन परम्पराओं, अनुभवों तथा ज्ञान का आदान-प्रदान करना;

ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और आउटरीच क्रियाकलापों में सहयोग;

ग) पक्षकारों द्वारा इस विषय पर अकेले अथवा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों तथा आयोजनों में सहभागिता के माध्यम से आईपी संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों, अनुभवों तथा जानकारी का उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ आदान-प्रदान तथा प्रसार करना;

घ) पेटेंट, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिप्यधिकार और भौगोलिक संकेतकों के लिए आवेदनों के निपटान हेतु सूचना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान तथा साथ ही आईपी अधिकारों का संरक्षण, प्रवर्तन और उपयोग;

ङ) ऑटोमेशन के विकास तथा आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन, आईपी में नए दस्तावेजीकरण तथा सूचना प्रणालियों एवं आईपी प्रबंधन की प्रक्रियाओं में सहयोग;

च) यह समझने के लिए कि पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण कैसे किया जाता है तथा पारंपरिक ज्ञान संबंधी डाटाबेस सहित सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के आदान-प्रदान तथा मौजूदा आईपी व्यवस्था की जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग;

छ) डिजिटल वातावरण में बौद्धिक संपदा कानून विशेषकर प्रतिलिप्यधिकार मुद्दों के बारे में, के उल्लंघन के बारे में सूचना तथा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान; तथा

ज) पक्षकारों की आपसी सहमति से अन्य सहयोगात्मक कार्यकलाप।

इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन से पक्षकारों को इस अनुच्छेद में परिकल्पित सहयोग के सभी क्षेत्रों तथा तरीकों संबंधी परियोजनाओं का विकास करने की बाध्यता नहीं होगी।

अनुच्छेद 3
सामर्थ्य

पक्षकार अपने-अपने क्षेत्राधिकारों, संस्थागत निर्देशों तथा लागू राष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सहयोगात्मक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुच्छेद 4
कार्य योजनाएं

दोनों पक्षकार द्विवार्षिक कार्य योजना बनाने हेतु एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन करने के लिए सहमत हैं जो इस एमओयू के अनुच्छेद II के अनुसार अपने सहयोग के विशिष्ट पहलुओं को निर्दिष्ट करेगी।

प्रत्येक कार्यशील योजना में संसाधनों के कार्यक्षेत्र, प्रबंधन, सुपुर्द कार्य संबंधी विनिर्देशों, मानव संसाधनों के आदान-प्रदान, समय-सारणी तथा पक्षकारों द्वारा आवश्यक समझी गई कोई अन्य सूचना सहित सहयोग कार्यों के निष्पादन संबंधी पूर्वघोषणाएं शामिल होंगी।

अनुच्छेद 5
निगरानी-तंत्र

पक्षकार संयुक्त समन्वय समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस एमओयू के कार्यान्वयन से उत्पन्न मामलों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से बैठक करने हेतु प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 6
वित्तीय संसाधन

पक्षकार सहयोग कार्यकलापों का वित्तपोषण, अपने संबंधित बजटों में निर्धारित किए गए संसाधनों की उपलब्धता, बजटीय मूल्यांकन और अपने राष्ट्रीय विधानों के प्रावधानों के अनुसार करेंगे।

पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग कार्यकलापों के फलस्वरूप सभी प्रकार के व्यय के लिए निधियां, पक्षकारों द्वारा उपयुक्त माने गए विशिष्ट कार्यों के लिए वैकल्पिक निधीयन तंत्र के उपलब्ध होने की स्थिति को छोड़कर, दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

कार्मिकों की अदला-बदली के विशिष्ट मामले में पक्षकार निबंधन एवं शर्तें लिखित में तैयार करेंगे जो इस कार्य के लिए लागू होंगी।

अनुच्छेद 7
विधान तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते

पक्षकारों के बीच यह एमओयू उनके अपने-अपने देशों के सभी लागू कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन होगा। यह एमओयू मौजूदा समझौतों अथवा ज्ञापनों, जिनमें पक्षकार पहले से ही शामिल हैं, के अधीन प्राप्त पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा। इस एमओयू से पक्षकारों के घरेलू नियमों अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, उन पर कोई कानूनी बाध्यकारी दायित्व का संगत अधिकार निहित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8
श्रम संबंध

इस एमओयू में निर्धारित सहयोग कार्यों के विकास के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा नामित कार्मिक उस संस्था के निर्देश तथा प्राधिकार के अधीन रहेंगे जिससे वे संबंधित हैं तथा इससे दूसरे पक्षकार के साथ कोई नियोजन संबंध स्थापित नहीं होगा तथा जिसे किसी भी स्थिति में एक वैकल्पिक नियोक्ता नहीं समझा जायेगा।

पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के अधीन सहयोग कार्यों से आधिकारिक रूप से जुड़े कार्मिकों की अपने-अपने देश में आवाजाही तथा ठहरने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह सुविधा सक्षम प्राधिकारियों से सहायता के रूप में होगी परंतु इसमें मेजबान देश के सहभागियों की ओर से हुए किसी व्यय को शामिल नहीं किया जायेगा जब तक कि किसी कार्य विशेष हेतु विशिष्ट सहमति न बनी हो। नामित कार्मिक, मेजबान देश में लागू आव्रजन, सीमा-शुल्क, कर, स्वास्थ्य-सफाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अध्ययधीन रहेंगे तथा ऐसे किसी कार्य में शामिल नहीं होंगे जो उनके कार्य के अनुरूप न हो। नामित कार्मिक, मेजबान देश से उसके कानूनों तथा विनियमों के अनुसार वापसी के लिए बाध्य होंगे।

अनुच्छेद 9
संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को लिखित संचार के आदान-प्रदान के माध्यम से पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से, संशोधन की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए, संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 10
सूचना का आदान-प्रदान तथा प्रकाशन

पक्षकार इस एमओयू की रुपरेखा के अन्तर्गत सूचना का मुक्त रूप से आदान-प्रदान करेंगे परंतु ऐसे मामलों में अपवाद रहेगा जिनमें राष्ट्रीय विधान में अथवा ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्ष ने इसका प्रयोग करने अथवा इसके प्रकट करने पर प्रतिबंध लगा रखा हो।

यदि किसी पक्ष द्वारा साझा की गई सूचना गोपनीय है तो अन्य पक्षकार को सूचना की इस प्रकृति के बारे में लिखित सूचना दी जाएगी। ऐसे पत्राचार के अभाव में पक्षकार इस एमओयू के तहत साझा की गई जानकारी को गोपनीय मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित सूचना अथवा किसी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट गोपनीय सूचना, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना तीसरे पक्ष को अंतरित नहीं की जायेगी।

इस एमओयू के अनुसरण में पक्षकारों द्वारा किए गए संयुक्त कार्य संबंधी किसी प्रकाशन, दस्तावेज और/अथवा कागजात पर दोनों का संयुक्त स्वामित्व होगा। किसी प्रकाशन, दस्तावेज तथा/अथवा कागजात पर पक्षकारों के नाम, लोगो तथा/अथवा सरकारी चिन्ह के उपयोग हेतु दोनों पक्षकारों की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

अनुच्छेद 11
विवाद समाधान

इस एमओयू के क्रियान्वयन, व्याख्या के संबंध में किसी विवाद का समाधान, दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति तथा मैत्रीभाव से किया जायेगा।

अनुच्छेद 12
अंतिम प्रावधान

यह एमओयू इस पर हस्ताक्षर के दिन से प्रभावी होगा और यह चार (04) वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। उक्त प्रारंभिक अवधि के बाद एमओयू की अवधि प्रत्येक बार चार वर्ष की अवधि हेतु स्वतः बढ़ जाएगी, जब तक कि किसी पक्षकार द्वारा उस समय चल रही चार वर्ष की अवधि के कम से कम 90 कैलेंडर दिन पहले समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का आशय संबंधी लिखित नोटिस दूसरे पक्षकार को नहीं भेजा जाता।

कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम नब्बे (90) कैलेंडर दिवसों का संविदा नोटिस देकर इस एमओयू को समाप्त कर सकता है।

इस समझौता ज्ञापन के समयपूर्व समाप्त होने से समझौता ज्ञापन के अंतर्गत चल रहे सहयोगात्मक कार्यकलापों के कार्यान्वयन पर उक्त कार्यकलापों के पूरा होने तक प्रभाव नहीं पडेगा ज़ब तक कि पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय नहीं लिया जाता।

इस एमओयू का आशय, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पक्षकारों के लिए कानूनी बाध्यता अथवा संगत अधिकार देना नहीं है।

साक्षियों की उपस्थिति में, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों द्वारा इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

दिनांक 1 सितंबर 2017 को स्टॉकहोम में, अंग्रेजी एवं हिन्दी की दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित। हिंदी या अंग्रेजी व्याख्या में अंतर होने के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(सुजेन एस सिवबर्ग, महानिदेशक)
स्वीडिश पेटेंट और पंजीकरण कार्यालय की ओर से

(मोनिका कपिल मोहता, स्वीडन और लातविया में भारत के राजदूत)
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार की ओर से